न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 9/2022 **दायर दिनांकः 16/02/2022**

उनवान

1. नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी महुआखेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थी :—स्वयं

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

आदेश **दिनाकः 30/01/2023**

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आश्य का पेश किया है कि ग्राम कवाई के खाता संख्या 743 ख0नं0 2618/365 रकबा 0.38 है0 एवं ख0नं0 2619/365 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 आराजी में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/63 अंकित है जो गलत दर्ज है क्योंकि प्रार्थी के पिता का सही नाम लक्ष्मीनारायण है। प्रार्थी के पिता के दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड आदि में सही नाम लक्ष्मीनारायण अंकित है। प्रार्थी के दस्तावेजों में भी उसके पिता का सही नाम लक्ष्मीनारायण अंकित है। अतः उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द के स्थान पर नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट ग्राम कवाई की आराजी ख0नं0 2618/365 व 2619/365 में प्रार्थी खातेदारान गोपीचंद, नेमीचंद व देवचंद पुत्रान लक्ष्मीचन्द दर्ज है एवं ग्राम कुण्डी की आराजी ख0नं0 1416 एवं 1418 में लक्ष्मीनारायण दर्ज है।

प्रार्थी के पिता का पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में लक्ष्मीनारायण पुत्र लालजी दर्ज है। अतः लक्ष्मीचंद के स्थान पर लक्ष्मीनारायण किया जाना उचित होगा। प्रार्थी के पिता का नाम लक्ष्मीचंद के स्थान पर लक्ष्मीनारायण करने की अनुशंषा की जाती है।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये। pw 1 शंकरलाल मीणा पुत्र ताराचंद मीणा निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू के शपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किया कि ग्राम कवाई की आराजी खाता संख्या 743 में गोपीचंद, देवचंद, नेमीचंद के पिता का नाम लक्ष्मीचंद दर्ज है जबकि इनका सही नाम लक्ष्मीनारायण है।

pw 2 बबलू बंजारा पुत्र धन्नालाल निवासी कवाई ने सशपथ बयान किया कि ग्राम कवाई की आराजी खाता संख्या 743 में गोपीचंद, देवचंद, नेमीचंद के पिता का नाम लक्ष्मीचंद दर्ज है जिनको गावं में लक्ष्मीचंद के नाम से बोला जाता है जबकि इनका सही नाम लक्ष्मीनारायण है।

4. प्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम कवाई के खाता संख्या 743 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द अंकित है जो गलत दर्ज है क्योंकि प्रार्थी के पिता का सही नाम लक्ष्मीनारायण है जो प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में अंकित है। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम लक्ष्मीचंद के स्थान पर लक्ष्मीनारायण किया जावे।

5. प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 743 ख0नं0 2618/365 रकबा 0.38 है0 एवं ख0नं0 2619/365 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/63 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता का नाम मतदाता पहचान पत्र में लक्ष्मीनारायण पुत्र लालतीराम, आधार कार्ड में लक्ष्मीनारायण पुत्र लालजी अंकित है। प्रार्थी का नाम मतदाता पहचान पत्र में नेमी चन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण, आधार कार्ड में नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है। ग्राम पंचायत कुण्डी के प्रमाण पत्र कमांक 13 दिनांक 06.04.2021 में भी लक्ष्मीनारायण पुत्र लालजीराम एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र लालजीराम जाति मीणा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है।

6. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट एवं साक्ष्य गवाहों के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम लक्ष्मीनारायण ही है। अतः रिकार्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी खाता संख्या 743 ख0नं0 2618/365 रकबा 0.38 है0 एवं ख0नं0 2619/365 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 में सहखातेदार नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द के स्थान पर नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां